महत्वपूर्ण

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल, **संख्या-32/2015/3118-प्रो0/51/2015-20(3)/2015,**
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

मुख्य मंत्री कार्यालय(प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ-दिनांक- 31 जुलाई, 2015

विषय- राज्य अतिथि/अतिथि/प्रोटोकाल (स्वागत, विदाई) की सुविधा अनुमन्य किये गये महानुभावों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में।

महादेय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या- 1276-प्रो0/51-2011-20(52)/2010, दिनांक 03-06-2011, संख्या 645-प्रो0/51-2012-20(01)/2012, दिनांक 06-03-2012 एवं संख्या- 2082-प्रो0/51-2015-20(5)/2015, दिनांक 21-07-2015 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि प्रदेश मे पधारने वाले महानुभावों, जिन्हें शासन द्वारा राज्य अतिथि/अतिथि/प्रोटोकाल (स्वागत, विदाई) की सुविधा अनुमन्य की गई हो एवं आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के संबंध मे निर्देश दिये गये हो, की सुरक्षा व्यवस्था शासन के गृह विभाग के निर्देशानुसार सम्पन्न की जायेगी।

2- शासन के संज्ञान मे यह तथ्य आया है कि कतिपय प्रकरणो में शासन के मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) द्वारा प्रदेश मे पधारने वाले जिन महानुभाव को राज्य अतिथि/अतिथि/प्रोटोकाल (स्वागत, विदाई) की सुविधा अनुमन्य करते हुए उनको आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं, उन्हें जिला प्रशासन द्वारा शासन के गृह विभाग के निर्देशों/उनके द्वारा सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य मे निर्धारित अनुमन्यता का अनुपालन सुनिश्चित न करते हुए महानुभाव को उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाती है। उदाहणार्थ- ऐसे महानुभाव जिन्हें पुलिस स्कोर्ट की सुविधा अनुमन्य नही है उन्हें भी बिना किसी उचित कारण के पुलिस स्कोर्ट उपलब्ध करा दिया जाता है।

3- अत: इस संबंध में पुन: निर्देशित किया जाता है कि शासन के मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) द्वारा प्रदेश मे पधारने वाले जिन महानुभाव को राज्य अतिथि/अतिथि/प्रोटोकाल (स्वागत, विदाई) की सुविधा प्रदान करते हुए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश जारी किये जाये, उन महानुभावों की सुरक्षा व्यवस्था शासन के गृह विभाग के निर्देशानुसार ही सम्पन्न की जाये।

4- कृपया उक्त निर्देश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित गुप्ता)
विशेष सचिव।

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-32/2015/3118(1)-प्रो0/51-20-(3)/2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- पुलिस महानिरीक्षक(सुरक्षा), उत्तर प्रदेश।
4- पुलिस महानिरीक्षक(रेलवे, अपराध एवं सुरक्षा), इन्दिरा लखनऊ।
5- स्थानिक आयुक्त, उ0प्र0, नई दिल्ली ।
6- सचिवालय नियंत्रण कक्ष, उत्तर प्रदेश सचिवालय/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।